न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)
अपील संख्याः—273/2021/225 आर.टी.एक्ट (2021/273)

1. श्रीमती मनीषा चौधरी पत्नी डॉ. भंवर खलदानिया जाति जाट निवासी पंचशील नगर, माकडवाली रोड़, अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिए सचिव।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.10.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर, राजस्व वाद संख्या 10/2021

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्रसिंह चौहान, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री हरिसिंह गुर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 2

निर्णय

दिनांकः—12.10.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 10/2021 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 11.10.2021 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष एक राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 रेस्पोडेंटगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात ग्राम माकडवाली पटवार हल्का माकडवाली भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र माकडवाली तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है जिसका वर्णन पत्रावली में है। अपीलांट की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 3164 के पश्चिमी भाग से लगते हुए रेस्पोडेंट 1 का खसरा संख्या 3166 अवस्थित है जिसका रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग वर्षों से अपीलांट अपने खेतों में आने जाने हेतु कर रही है। जो कि वर्तमान में रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है एवं आज भी अपीलांट इसी रास्ते का आवागमन में इस्तेमाल कर रही है। रेस्पोडेंट संख्या 1 उक्त कच्चे रास्ते को बंद करवाने पर आमादा है जिसमें यदि वे सफल हो गए तो अपीलांट के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। जिससे अपीलांट एवं अपीलांट के परिवार का अपने कृषि से

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

संबंधित उपकरण, संबंधित साधनों का आवागमन बंद हो जाएगा अतः अपीलांट को रेस्पोडेंट संख्या 1 के खसरा संख्या 3166 में से अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3164 व अन्य खसरा नम्बर तक आने जाने हेतु रास्ता प्रदान किया जाना न्यायोचित है उक्त खसरा नम्बर 3166 कदीमी रास्ता रहा है जो अपीलांट के पूर्व तात्कालीन खातेदार काश्तकार के समय से ही उक्त खसरा संख्या 3166 का उपयोग के रूप में लेते आ रहे है। जो कि नक्शा ट्रेस में भी उक्त खसरा नम्बर रास्ते के रूप में ही दर्शित चला आ रहा है परंतु अधिकार अभिलेख में रास्ता दर्शित नहीं है जिससे उक्त रास्ता अपीलांट को प्रदान किया जाकर अधिकार अभिलेख में तरमीम की जाकर रास्ता अंकित किया जाना न्यायोचित है। रेस्पोडेंट संख्या 1 के खसरा नम्बर 3166 जो कि वर्तमान में राजस्व नक्शे में रास्ते के रूप में चौडी पट्टी के रूप में दर्शित है तथा उक्त खसरा संख्या 3166 के उत्तरी कौने से आगे मुख्य रास्ते से जुड़ा हुआ है तथा अपीलांट अपनी खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात पर आने जाने हेतु उक्त खसरा नमबर 3166 का ही उपयोग उपभोग करती चली आर रही है। जिस कारण उक्त खसरा संख्या 3166 को रास्ते के रूप में राजस्व नक्शे में अंकित किया जाना न्यायोचित है। धारा 251ए के अंतर्गत उक्त रास्ते की भूमि की डी.एल.सी रेट के अनुसार जो भी कीमत माननीय न्यायालय जमा करवाने हेतु आदेश फरमावेंगे वह राशि अपीलांट श्रीमान के आदेश की पालना में राजकोष में जमा करवाने हेतु तत्पर हैं उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किए जाने का आदेश प्रदान किया तत्पश्चात उक्त पत्रावली को कोर्ट कैम्प माकडवाली में सुनवाई हेतु नियत की जाकर दिनांक 11.10.2021 को अविधिक रूप से अपीलांट के उक्त प्रार्थना पत्र को निरस्त किए जाने का आदेश पारित कर दिया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अपीलांट की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात बाबात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया था तथा उक्त रास्ते के उपयोग–उपभोग में आने वाली आराजीयात बाबत अपीलांट वर्तमान डी. एल.सी रेट के अनुसार राशि का भुगतान करने हेतु तत्पर थी इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 11.10.2021 को निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया। अपीलांट ने अपने प्रार्थन पत्र के साथ अपनी खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात बाबत जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा प्रस्तुत किया गया था तथा उक्त आराजीयात राजस्व कर्मचारियों के द्वारा वर्तमान राजस्व अभिलेख में बतौर कृषि आराजीयात के रूप में ही दर्ज है तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड के विपरीत जारक तथा मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत जाकर उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई तथा उक्त रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति मे बनाई गई थी तथा पत्रावली को कैम्प माकडवाली में ले जाकर खारिज करने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के उक्त प्रार्थना–पत्र को अपने आदेश दिनांक 11.10.2021 द्वारा खारिज करने में कानूनी भूल कि है इसलिए अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाए जाकर आदेश दिनांक 11.10.2021 को निरस्त कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपीलांट के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251क को स्वीकार किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस कथन किया कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा जिस भूमि हेतु रास्ता चाहा गया है उसका उपयोग कृषि प्रयोजनार्थ नहीं किया जाकर मौके पर प्लाटिंग कर विक्रय किए जा रहे हैं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए के अंतर्गत एक काश्तकार को अपनी कृषि भूमि, कृषि के उपयोग में लेने तथा उस पर आने जाने हेतु रास्ता दिए जाने का प्रावधान है उक्त प्रकरण में वादग्रस्त भूमि में कृषि कार्य के रूप में काम में नहीं ली जाकर मौके पर प्लाटिंग कर विक्रय की जा रही है ऐसी स्थिति में अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251–ए की परिधि में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई कानूनी भूल नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाए।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 के अभिभाषक ने राजकीय अभिभाषक की बहस का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है, इसलिए अपीलांट की अपील में कोई कानूनी बल नहीं है इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाए।

7. पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन एवम् उभय पक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान दिये गये तर्को के क्रम में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि में आने जाने हेतु 251–क रास्ता चाहा गया है जबकि वादग्रस्त भूमि कृषि उपयोग में नहीं ली जा रही है तथा मौके पर वादग्रस्त भूमि प्लाटिंग कर विक्रय की जा रही है। 251–ए में खातेदार अपनी खातेदारी भूमि पर काश्तकारी/खातेदारी जोत पर खातेदारी कार्य करने के लिए ही आवागमन के लिए रास्ते की मांग कर सकता है। उक्त प्रकरण में वादग्रस्त भूमि कृषि कार्य के उपयोग में नहीं ली जा रही अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के काश्तकारी नियम 69 की पालना करते हुए विधिक रूप से कानूनी प्रावधान के आधार पर निर्णय पारित किया जो विधि सम्मत है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 10/2021 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2021 का निर्णय विधि सम्मत होने से यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 12.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर